कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 1412 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 19/07/ 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट देवीछौना से जमतड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.1123 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0– 8985/2014।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/112/2015/एफ0सी0/1188 दिनांक 29.08.2023।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 6990/12–1 (2) दिनांक 16.06.2023 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 पिथौरागढ़

फोन / फैक्स नं0 05964–226685 ई–मेलः– eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 416 / 03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दि0 07–06–2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट (देवीछौना) से जमतड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.1123 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मो0मा0 के संबंध में अवगत कराना है कि आपके पत्रांक संख्या–5777 / 12–1 दिनांक 25.03.2023 के अनुपालन में संशोधित एन0पी0बी0 की धनराशि कैम्पा कोष में जमा करा दी गई है एवं भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 12 / 2015 / एफ0सी0 / 1188 दिनांक 29.08.2019 के कम में वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रश्न–उत्तर कॉलम में इस कार्यालय के पत्रांक–863 / 03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक 24.11.2022 द्वारा पूर्व में प्रेषित किया गया था। जिसकी छायाप्रति पुनः तीन प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त मोटर मार्ग में अग्रिम–आवश्यक कार्यवाही कर विधिवत् स्वीकृति दिलाने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

[stamp: प्रभागीय वन प्रभाग पिथौरागढ़] 08/6/023

O/C

भवदीय

[signature] 7/6/23

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि– श्री संजय कुमार सहायक अभि0 / श्री मनोज सिंह खाती AAE को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु प्रेषित।

[signature] 07/6/23

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax&☎ 05964-225234

पत्रांकः–   /12–1   दिनांक, पिथौरागढ़, 13– नवम्बर, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषय :– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट (देवीछौना) से जमतड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.1123 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 112 / 2015 / एफ0सी0 / 1188 दिनांक 29.08.2019 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 863 / 03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक 24.11.2022।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 12 / 2015 / एफ0सी0 / 1188 दिनांक 29.08.2019 के कम में वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रश्न–उत्तर कॉलम में निम्ननुसार प्रेषित है–

01	प्रश्न	उत्तर
1	प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति ग्राम जमतड़ी CA Area पर दी गई थी परन्तु mutation document ग्राम पमस्यारी की प्रस्तुत की गई है। यदि CA area change किया गया है तो उसका विस्तृत कारण तथा समस्त revised document जैसे कि KML file, digital map, SoI toposheet, CA site suitability तथा ownership proof इत्यादि जमा कराएं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 01 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण जमतड़ी सिविल सोयम भूमि पर होना प्रस्तावित था, परन्तु क्षतिपूरक हेतु उपयुक्त वृक्षारोपण स्थल जमतड़ी सिविल सोयम में उपलब्ध नहीं हो पाया, तत्पश्चात् राजस्व विभाग से विचार विमर्श करने के उपरान्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त ग्राम पमस्यारी में चयनित किया गया। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल ग्राम पमस्यारी के revised document जैसे KML file, digital map, SOI toposheet, CA scheme & CA site suitability तथा ownership proof इत्यादि संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है।
2	राज्य सरकार रूपये 3736557.00 की संशोधित 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना जिसके आधार पर कैम्पा कोष में धनराशि जमा की गई है, की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करें।	कैम्पा कोष में जमा की गई की धनराशि रूपये 3736557.00 मात्र की संशोधित 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना की मूल प्रति पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है एवं छायाप्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्याः– 3697 /12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

योजना का नाम– प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत तक किमी० प्रस्तावित

1–पौधारोपण स्थल का नाम– ग्राम पंमस्यारी (देवालैना) है० कुल रोपण – है०

2–रोपित किये जान वाले पौधों की सं०–1100 पौध प्रति है०।

3–रोपित किये जाने वाली पौधों की प्रजाति–बाज,फल्यांट,तेजपात,हरड आदि

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)				
1	सर्वे व सीमाकन	1	है०	147	147.00
2	पौधों का मूल्य (प्रथम वर्ष)	2000	पौध	8.7	17400.00
3	स्थल सफाई कार्य /लैन्टाना झाड़ी कटान कार्य	1	है०	8581	8581.00
4	घेरबाड कार्य (84 घ0मी0 प्रति है0)	84	घमी0	478	40152.00
5	गडडा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	2000	गडडे	11.14	22280.00
6	निरिक्षण बटिया निर्माण कार्य	1	है0	737	737.00
7	अन्य व्यय	1	है0	400	400.00
	योग प्रथम वर्ष–:				89697.00
	योग–:			**SAY**	**89600.00**
	द्वितीय वर्ष (वृक्षारोपण कार्य)				
1	पौधों का मूल्य (द्वितीय वर्ष)	2000	पौध	1.75	3500.00
2	गडडा भरान कार्य	2000	गडडे	1.75	3500.00
3	पौध ढुलान कार्य सिरबोझ व वाहन द्वारा	2000	पौध	9.7	19400.00
4	पौध रोपण व थावलाबन्दी	2000	पौध	3.13	6260.00
5	निराई गुराई प्रथम बार	2000	पौध	1.15	2300.00
6	निराई गुराई द्वितीय बार	2000	पौध	1.15	2300.00
7	रासायनिक दवा व मल्चिंग	2000	पौध	0.32	640.00
8	अनरक्षण कार्य 8 माह का	1	है0	7235	7235.00
9	वृक्षारोपण के अन्दर ज्वलनशीन पदार्थ को हटाना	1	है0	350	350.00
10	अन्य व्यय	1	है0	700	700.00
	योग– द्वितीय वर्ष				46185.00
	योग–:			**SAY**	**46102.00**
	रोपण के बाद प्रथम वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	10852	9460.00
	योग– रोपण के प्रथम वर्ष का				9460.00
	योग–:			**SAY**	**9460.00**
	रोपण के बाद द्वितीय वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	9460	9460.00
	योग– रोपण के द्वितीय वर्ष का				9460.00
	योग–:			**SAY**	**9460.00**

TL A.E

	रोपण के बाद तृतीय वर्ष				
	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	हे0	9460	9460.00
	योग :– रोपण के तृतीय वर्ष का				9460.00
	योग :–			Say	**9460.00**
	रोपण के बाद चतुर्थ वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	हे0	9460	9460.00
	योग :– रोपण के चतुर्थ वर्ष का				9460.00
	योग :–			**Say**	**9460.00**
	रोपण के बाद पंचम वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	हे0	9460	9460.00
	योग :– रोपण के पंचम वर्ष का				9460.00
	योग :–			**Say**	**9460.00**
	रोपण के बाद षष्टम वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	हे0	9460	9460.00
	योग :– रोपण के षष्टम वर्ष का				9460.00
	योग :–			**Say**	**9460.00**
	रोपण के बाद सप्तम वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	हे0	9460	9460.00
	योग :– रोपण के सप्तम वर्ष का				9460.00
	योग :–			**Say**	**9460.00**
	रोपण के बाद अष्टम वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	हे0	9460	9460.00
	योग :– रोपण के अष्टम वर्ष का				9460.00
	योग :–			**Say**	**9460.00**
	रोपण के बाद नवम वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	हे0	9460	9460.00
	योग :– रोपण के नवम वर्ष का				9460.00
	योग :–			**Say**	**9460.00**
	रोपण के बाद दशम वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	हे0	9460	9460.00
	योग :– रोपण के दशम वर्ष का				9460.00
	योग :–			**Say**	**9460.00**
	प्रति हे0 रेट (कुल योग)				**230302.00**

1– प्रति हेक्टेयर व्यय धनराशि रू0 230302.00

2–परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 8.1123 हे0

3– दुगुने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल = 8.1123 x 2.00 = 16.2246 हे0

4–दुगुने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि = रू0 16.2246 x 230302 = ₹ 3736557.82

कुल ₹ 3736557.00

J.E

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता
सिचाई खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़, वन प्रभाग
पिथौरागढ

वन क्षेत्राधिकारी
अस्कोट

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दैवीछौना–जमतड़ी मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम पमस्यारी उपयुक्त स्थल है एवं उक्त स्थल में 1100 पौध प्रति है० की दर से रोपित किये जा सकते हैं।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

वन क्षेत्राधिकारी
अस्कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़, वन प्रभाग
पिथौरागढ

योजना का नाम - प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत
डीडीहाट (दैवीढौना) से जमतड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का
SOI toposheet

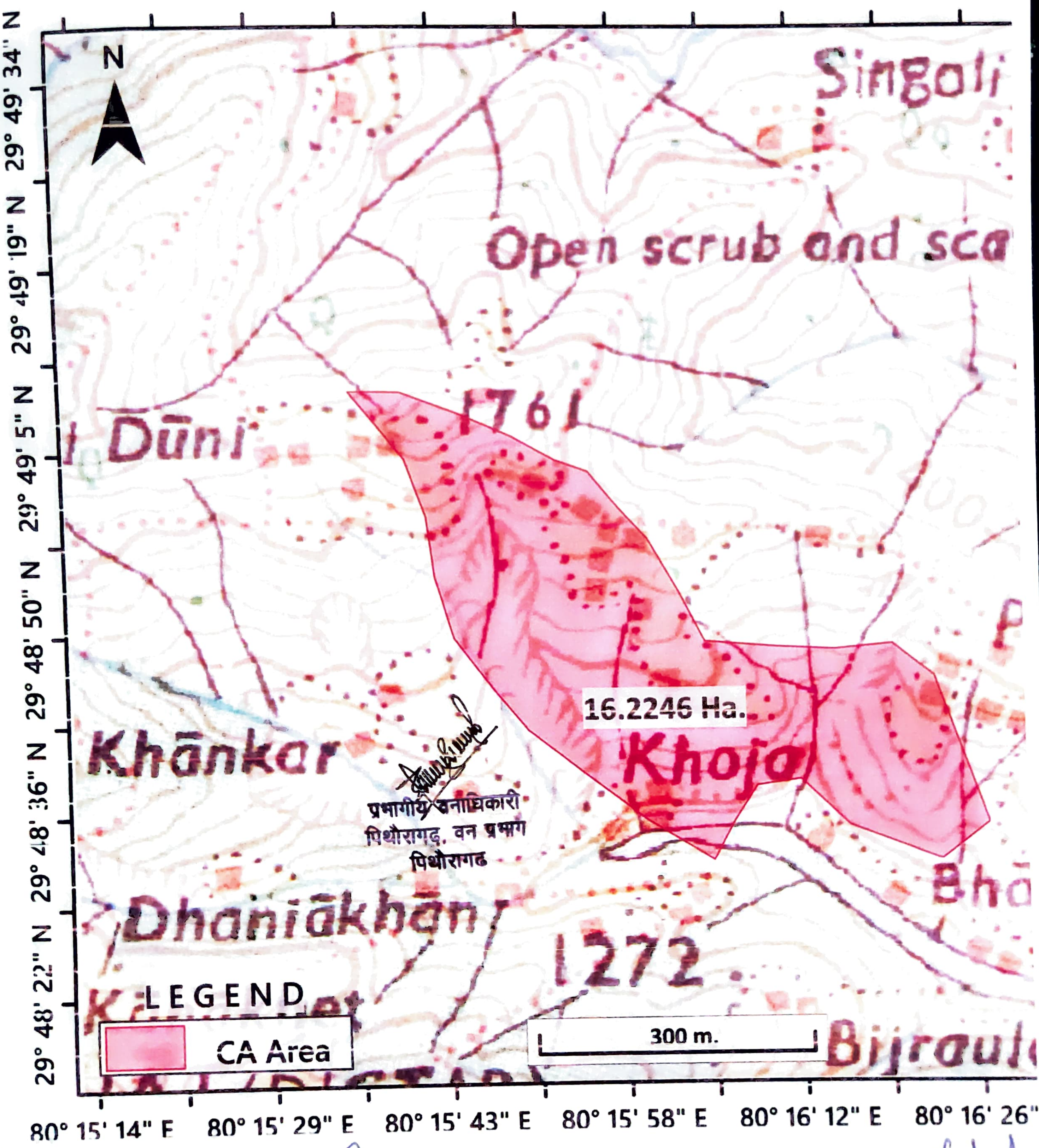

S.B

वन क्षेत्राधिकारी

अधिशासी अभियन्ता

योजना का नाम - "प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत "डीडीहाट (दैवीढोना) से जमतडी" मोटर "मार्ग" निर्माण हे
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का

Digital Map

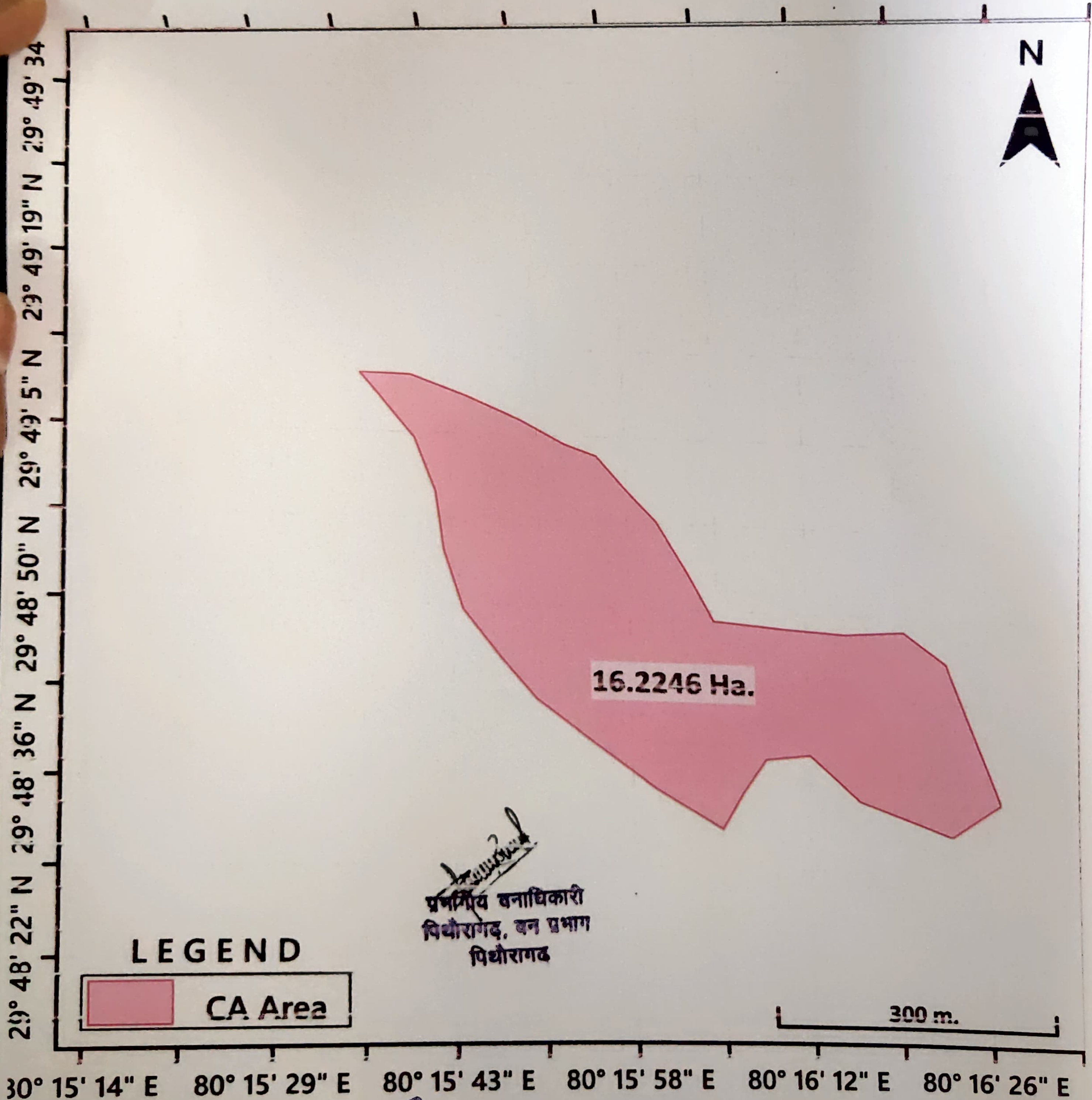

SE

वन क्षेत्राधिकारी

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

पिथौरागढ़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 पिथौरागढ़

फोन / फैक्स नं0 05964-226685 ई-मेलः- eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 366 / 03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दि0 26-05-2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट (देवीछौना) से जमतड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.1123 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भः- आपका पत्रांक -5777/12-1 दिनांक 25 मार्च 2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा उक्त मोटर मार्ग में एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार शेष धनराशि रू. 3000363.00(रूपये तीस लाख तीन सौ तिरसठ) जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित किया गया था, जिसके अनुपालन में उक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा करा दी गई है एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-8बी/यू0सी0पी0/06/12/2015/एफ0सी0/1188 दिनांक 29.08.2019 के क्रम में वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रश्न-उत्तर कॉलम में इस कार्यालय के पत्रांक 863/03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक 24.11.2022 द्वारा पूर्व में प्रेषित कर दिया गया है।(प्रतिलिपि संलग्न)

अतः उक्त के संबंध में आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग में विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

26/5

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपिः- सम्बन्धित सहायक अभियंता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।